



## लिंगानुपात विषमता एवं घटती आधी आबादी

□ डॉ श्रीमती भावना\*

प्राचीन काल से ही भारत में नारी को देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता रहा है। वह लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के रूप में समृद्धि, बुद्धि एवं शक्ति का प्रतीक मानी जाती रही है। उसे 'नारी तुम केवल श्रद्धा हो भी कहा गया, किन्तु वास्तविकता में उसे मानवी के रूप में भी रथापित नहीं होने दिया जाता, उसे दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। नारी सशक्तीकरण के इस युग में भी पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। एक सर्वेक्षण के अनुसार देश की 37 प्रतिशत महिलायें घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। घरेलू हिंसा पर जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2009 में घरेलू हिंसा से मरने वालों की संख्या 8383 थी एवं उसी वर्ष आतंकवादी हिंसा से मरने वालों की संख्या 2231 थी। क्या इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया जा रहा है? यह एक प्रश्न उठता है। महिलाओं के हित की दृष्टि से साप्ताहिक पत्रिका— न्यूजवीक की सितंबर, 2011 में सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट है कि 165 देशों का शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय तथा आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें कि भारत का स्थान 165 देशों में 141वें स्थान पर था।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर सन् 1948 में मानवाधिकारों की घोषणा की सन् 1995 में "मानवाधिकार स्त्री अधिकार है" नाम से एमनेस्टी इंटरनेशनल जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह भी इरादा व्यक्त किया कि सन् 2000 तक दुनिया से गैरबराबरी समान्त कर समतामूलक समाज की स्थापना हो, किन्तु आज भी दुनिया के सभी देशों में मानवाधिकार स्त्रियों के लिये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं यहाँ तक कि न्यायिक सुरक्षा भी प्रदान

नहीं करते हैं। आज भी स्त्री अपनी अस्मिता बोध एवं समानता के स्तर पराने के लिये संघर्ष कर रही है।

यौन भेद और यौन हिंसा नारी की नियति बन गये हैं जो कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यौन भेद का क्रूरतम रूप भ्रूण हत्या है, जिसके कारण भारत में लिंगानुपात विषमता देश के लिये एक ज्वलंत समस्या है।

पन्द्रहवीं जनगणना की अंतरिम रिपोर्ट 31 मार्च, 2011 को जारी की गई, जिसके अनुसार—

जनसंख्या	— 121,01,93,422
पुरुष	— 62,37,24,248
स्त्रियाँ	— 58,64,69,174
लिंगानुपात	— 940

भारत में स्त्रियों की संख्या में 1901 से अगर दृष्टि डालें तो निरंतर स्त्रियों की संख्या कम होती जा रही है, जिसका कि प्रमुख कारण समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, महिलाओं में अशिक्षा, धार्मिक विश्वास, परंपरायें, सामाजिक असुरक्षा, रूढ़िवादिता, भ्रूण हत्या आदि हैं।

### लिंगानुपात 1901 से 2011 तक

वर्ष	लिंगानुपात
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	933
2011	940

\*विभागाधिकारी, समाजशास्त्र विभाग, महिला महाविद्यालय पी०जी० कॉलेज, किंवड़वई नगर, कानपुर, उ०प्र०

देश में प्रगतिशील राज्यों में माने जाने वाले दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में सन् 2001 स्त्रियों की संख्या अन्य स्थानों से कम है। दिल्ली में प्रति 1000 में 865, हरियाणा में 820 और पंजाब में 793 थी। इन प्रदेशों में 2011 में उपरोक्त स्थानों में स्त्रियों के अनुपात में सुधार हुआ है, किन्तु अभी भी 900 से कम है। केरल, तमिलनाडु, अंध्र प्रदेश में यह लिंगानुपात करीब—करीब समान है। केरल में 2001 में लिंगानुपात 1000 में 1058 था।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफोपीए) की भारत प्रतिनिधि फ्रेडरिका मेजर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उत्तराखण्ड के आंकड़ों को बहुत चिंताजनक बतलाते हुए कहती हैं कि दहेज जैसी कुरीतियों की वजह से बेटियों को बोझ माना जा रहा है।

प्रदेश	1000 पुरुष पर स्त्रियों का जन्म
उत्तर प्रदेश	904
उत्तराखण्ड	866
बिहार	919
झारखण्ड	923

स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से देश के नौ पिछड़े राज्यों में पहली बार जिला स्तर पर किये गये वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर यह भी ज्ञात हुआ कि गर्भ में बच्चियों को मारने में बिहार का सीतामढ़ी सबसे आगे है। 1000 लड़कों में 869 लड़कियाँ पैदा हुईं। मथुरा में यह अनुपात 790 है। यह अनुपात कम से कम 950 अवश्य होना चाहिए।

लिंगानुपात में विषमता की दूसरी स्थिति तब पनपती है जब बच्चीका जन्म तो हो जाता है किन्तु 06 वर्ष तक आते—आते उनकी मृत्यु हो जाती है।

वर्ष	06 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात
1961	976
1971	964
1981	962
1991	945
2001	927
2011	914

उपरोक्त आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि बच्चों से उनके जीने का अधिकार भी छीना जा रहा है। 06 वर्ष की बच्चियों के लिंगानुपात में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में 2001 की तुलना में कुछ सुधार हुआ है, गुजरात में भी सुधार दर्ज किया गया। इन राज्यों में बाल लिंगानुपात 850 से भी कम का जो कि 2011 में भी 900 तक नहीं पहुँच पाया है।

25 प्रतिशत बच्चियों की मृत्यु कुपोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में हो जाती है। बच्चियों के प्रति उदासीनता के कारण माँ को भी पौष्टिक आहार एवं उचित देखभाल नहीं मिल पाती है, जिससे माँ के गिरते स्वास्थ्य के कारण बच्चियों को कुपोषण एवं बीमारी ग्रसित कर लेती है। 2001 एवं 2011 की जनगणना में अप्रत्याशित गिरावट पाई गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा कि भारत के कुछ क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 पर 800 से भी कम हो गया है जो सामाजिक, आर्थिक एवं जनांकिकीय दृष्टिकोण से घातक सिद्ध हो सकता है।

लिंगानुपात विषमता के संदर्भ में एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी सामने आया है कि हमारे देश में महिलाओं की बड़ी संख्या खो गई है। इसका कारण महिलाओं और बच्चियों की तस्करी है। बड़ी—बड़ी एजेंसीज अवैध व्यापार कर रही हैं, विवाह और नौकरी का प्रलोभन देकर यह व्यापार कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए चल रहा है। गरीबी, बेरोजगारी के कारण बढ़ते हुए व्यापार, को रोकने के लिए सरकार को सक्रिय प्रयास करने होंगे।

लिंगानुपात में विषमता का प्रमुख कारण कन्याभ्रूण हत्या, बच्चियों की मृत्यु तथा महिला एवं बच्चियों की तस्करी है। इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक मान्यतायें हैं। दहेज प्रथा इसका कारण है, साथ ही धार्मिक परम्परायें जिसके अंतर्गत पुत्र को ही मुखाग्नि देने का अधिकार है। पिण्डदान, तर्पण, श्राद्ध आदि परंपरायें पुत्र का अधिकार मानी जाती हैं। पुत्र लालसा का एक बहुत बड़ा कारण ये प्रथायें तथा वंश की निरंतरता एवं वृद्धावस्था में देखभाल भी पुत्र के ऊपर निर्भर करता है। लड़कियाँ

विवाह के पश्चात् घर छोड़ देती हैं, किनतु ऐसी स्थिति लड़कों के साथ भी होती है। वह नौकरी या व्यवसाय के लिए बाहर चले जाते हैं। कई घरों में पुत्रियाँ अपने माता-पिता का आर्थिक भार सम्भालती हैं। इस व्यवस्था को कानून के दायरे में लाने की आवश्यकता है।

यूनीसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 30 लाख भ्रूण हत्या होती है, जो कि कन्यायें ही होती हैं। एक अन्य अध्ययन के अनुसार सन् 1980 से 2010 के बीच 1 करोड़ 20 लाख बच्चियों को गर्भ में ही समाप्त कर दिया गया। इसमें ज्यादातर उन बच्चियों को मारा गया जो भ्रूण परीक्षण में दूसरी बेटी थी, जबकि भारतीय दंडसंहिता की धारा-312 से 315 तक में भ्रूण हत्या रोकने के प्रावधान किये गये हैं। इसके अंतर्गत जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी हत्या करने के आशय से किये गये कार्य को करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है। दूसरी संतान के रूप में जन्मी बच्चियों का अनुपात 1990 में 1000 में 906 तथा सन् 2005 में 836 था।

उत्तर भारत से लेकर देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में यह गिरावट आई है। यह अध्ययन किया गया है कि पहली बेटी होने पर दूसरी कन्या की भ्रूण हत्या ज्यादातर पढ़े-लिखे रईस परिवार और शहरी इलाकों में होती है।

**वैधानिक प्रावधान:** सन् 1971 के चिकित्सकीय गर्भाधान अधिनियम तथा 1994 के प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक अधिनियम के लागू होने के बावजूद भ्रूण हत्या एक बड़े व्यवसाय के रूप में पनप रहा है। भारत में प्रतिवर्ष 300 करोड़ की अल्ट्रासाउन्ड मशीन खरीदी जाती है तथा लिंग निर्धारण एवं भ्रूण हत्या का व्यवसाय 500 करोड़ रुपये का पनप रहा है।

प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक अधिनियम 20 दिसम्बर, 1994 को पारित किया गया, इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान हैं—

- प्रयोगशाला, क्लीनिक पंजीकृत होना चाहिये। परीक्षण केन्द्र के पास निर्धारित योग्यता होनी

चाहिये, किन्तु ऐसा चिकित्सक भी पंजीकृत केन्द्र में ही परीक्षण करेगा।

- ये परीक्षण निर्धारित बीमारियों के लिये ही प्रयोग में लाये जायेंगे।
- परीक्षण कराने वाली महिला की आयु 35 वर्ष से अधिक हो तथा उसके कम से कम दो बार गर्भपात हो चुका हो अथवा उसके या उसके परिवार में शारीरिक या मानसिक विकलांगता की पृष्ठभूमि रही हो।
- निर्धारित उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु परीक्षण करवाने हेतु गर्भवती महिला की लिखित सहमति होनी चाहिये। भ्रूण के लिंग के विषय में जानकारी किसी को नहीं दी जायेगी।
- भ्रूण परीक्षण हेतु किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित करवाना प्रतिबन्धित है।
- निर्धारित कारणों के अतिरिक्त परीक्षण करने पर कानून का उल्लंघन होगा इस पर—  
क. पहली बार 3 वर्ष तक की सजा तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना।  
ख. उसके पश्चात् 5 वर्ष तक की सजा तथा 50 हजार रुपये तक का जुर्माना।
- दोषी पंजीकृत चिकित्सकों के मामले में पहली बार में मेडिकल काउन्सिल से उनका नाम 2 वर्ष तक तथा अगली बार ऐसा करने पर मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया को कार्यवाही हेतु सूचित किया जायेगा।
- ऐसे पंजीकृत केन्द्रों को जहाँ कानूनी कार्यवाही चल रही हो, सुरक्षित रखा जायेगा, जब तक कार्यवाही समाप्त न हो जाये।
- प्रत्येक पंजीकृत केन्द्र पर हिन्दी एवं अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में यह नोटिस लगाना आवश्यक है— “भ्रूण के लिंग की जाँच कराना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है।”

**समाधान:** कानून बनाना और इसके कार्यान्वयन करना अलग-अलग हैं। गर्भपात के अधिकार का भ्रूण हत्या के लिए दुरुपयोग किया जाता

है। टी०वी० पर आये “सत्यमेव जयते” कार्यक्रम से यह स्पष्ट हुआ कि भ्रूण हत्या के विरुद्ध कार्य करने वाले समाजसेवी शोषित होते हैं और आज तक किसी भी चिकित्सक से उसका चिकित्सक का अधिकार नहीं छीना गया। सरकार का ढीला रवैया तथा सरकारी तंत्र के ब्रष्टाचार के कारण लिंगानुपात में विषमता बनी हुई है। यद्यपि इसके सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक कारक भी महत्वपूर्ण हैं।

1. भारतीय चिकित्सा परिषद्, डब्ड्व चिकित्सक को यह प्रतिज्ञा करवाती है कि वह भ्रूण हत्या जैसा जघन्य कार्य नहीं करेंगे, किंतु इसके बावजूद अवैध रूप से प्रसव पूर्व परीक्षण विभिन्न केन्द्रों में हो रहे हैं। चिकित्सकों को समय—समय पर प्रशिक्षण देकर नैतिकता का पाठ भी पढ़ाना चाहिये ताकि वे बच्चियों से जीने का अधिकार न छीनें।
2. समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ाना एवं रुढ़िवादिता को समाप्त करने के प्रयास करने होंगे। समाज में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ कि बेटियों ने माँ—बाप को सहारा दिया है, मुखाग्नि दी है, पितृऋण को चुकाया है। माँ—बाप के पालन—पोषण की जिम्मेदारी में बेटी को भी कानून के दायरे में लाने की आवश्यकता है।
3. स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका जनजागरण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में कई संस्थायें भ्रूण हत्या के विरुद्ध सार्थक प्रयास कर रही हैं पर वे पर्याप्त नहीं हैं। मानसिकता बदलने के लिये निरंतर प्रहार करने की आवश्यकता है।
4. संपत्ति में बेटी के अधिकार को क्रियान्वित करके दहेज प्रथा को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिये। लड़कियों और लड़कों में भी

स्वाभिमान की भावना जागृत करना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में लड़कियाँ अपने माता—पिता से तथा लड़के ससुराल से सरल तरीके का साधन जुटाने की मानसिकता रखते हैं।

5. गोष्टियाँ, रैली, नुक्कड़ नाटक, वादविवाद निबंध प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल, कॉलेज तथा अन्य संस्थाओं द्वारा भ्रूण हत्या के विरुद्ध आयोजित किया जाना चाहिये। भारत में व्यक्ति धर्मपरायण के साथ ही धर्मभीरु भी है। धर्म गुरु, संत, महात्मा यदि इस सम्बन्ध में प्रचार करेंगे तो जनता पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। हमें ऐसे प्रयासों के लिये पहल करनी होगी।
6. महिलायें तेजी से विकास की ओर बढ़ रही हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र, नहीं है जहाँ उन्होंने बुलंदियों को न छुआ है। ऐसी समर्थ और सशक्त महिलायें स्वयं आगे बढ़कर समाज की मानसिकता संकल्प के साथ बदलें। उन्हें ही भ्रूण हत्या एवं बालिका मृत्यु जैसे आधी आबादी के कलंक को धोना होगा तथा एक मिशन की तरह कार्य करना होगा।

#### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

1. बेहरा, आशारानी, नारी शोषण, आइने और आयाम, 2005.
2. भारत की जनगणना रिपोर्ट, 2011.
3. भारत—2010.
4. योजना—अक्टूबर, 2008, वर्ष 53 अंग, 10.
5. योजना—जुलाई, 2011 वर्ष 55 अंक—7.
6. Report on Copen Hegan World Women's Conference, 1980.
7. The Society, Vol. 12, Dec., 2010.
8. शर्मा, नमिता : बेटा वंश के लिये बेटियाँ समाज के लिये, पर्यावरण विकास, वर्ष 2009 अंक 10.
9. Mittal, Mukta (1995) "Women Power in India", Anmol Publications Pvt. Ltd., New Delhi.
10. डॉ भावना — भारतीय संविधान और महिलाओं के वैधानिक अधिकार।
11. दैनिक जागरण — 18 जुलाई, 2012.